न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 29/2015 **दायर दिनांकः 24.08.2015**

उनवान

1. मोहम्मद पयाम आयु 45 वर्ष पुत्र मुर्तजा खां जाति मुसलमान निवासी हिल्व्यू गार्डन के सामने ऐजाज नगर छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज0।
2. परमानन्द आयु 40 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति तेली निवासी वासु फिलिंग स्टेशन के पास छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र कान्हा जाति माली निवासी कवाई तहसील अटरू
2. गेरधन पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी कवाई तहसील अटरू
3. छेवीलाल पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी कवाई तहसील अटरू
4. धनराज पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल ।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनांक 14/03/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद माननीय नयायालय में पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की पूर्ण आशा है। ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार खाता सं0 170 की ख0नं0 261 का 2.55 है0 भूमि स्थित चली आ रही थी। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित भूमि में खातेदार छीतर का हिस्सा 3/8 गायत्रीबाई, गुड्डीबाई का हिस्सा 1/8, चन्दाबाई का हिस्सा 1/8, रामचन्द्रीबाई का हिस्सा 1/4 व राजेन्द्र प्रसाद का हिस्सा 1/8 दर्ज खाता चला आ रहा था। खातेदार छीतर अप्रार्थी क्रम 1 ने उसके हिस्से 3/8 में से प्रार्थीगण को हिस्सा 1/20—1/20 कुल 2/20 हिस्सा पूरब दिशा का बैचान करके मौके पर कब्जा सम्भला दिया था। लेकिन उपरोक्त भूमि संयुक्त खाते में होने से समस्त खातेदारों के बीच कब्जे का विवााद होने पर समस्त खातेदारान ने आपसी सहमति से श्रीमान नायब तहसीलदार साहब कवाई के समक्ष बंटवारा किया था। बंटवारे के अनुसार पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर पैमाईश कर उनके हिस्से अनुसार इन्तकाल दर्ज करते वक्त बंटवारा करके मौके पर कब्जा सम्भला दिया था तथा इन्तकाल की पुश्त पर हिस्से अनुसार नक्शा बना दिया था।

उक्त बंटवारे अनुसार प्रार्थीगण पूरब दिशा की 0.25 है0 भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा बंटवारे अनुसार प्रार्थीगण के उक्त भूमि पृथक पृथक खाते दर्ज हो चुकी है। प्रार्थी क्रम 1 का खाता संख्या 517 ख0नं0 2422/261 रकबा 0.13 है0 है तथा प्रार्थी क्रम 2 का खाता संख्या 339 ख0नं0 2425/261 रकबा 0.12 है0 है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित भूमि में होकर कवाई बाई पास राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वे हो जाने से तथा अप्रार्थीगण के हिस्से एवं कब्जे की भूमि में गुड्डीया गाढ दिये जाने से अप्रार्थीगण के मन में बैमाईमानी एवं बदयान्ती आ जाने से प्रार्थीगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त में चली आ रही पूरब दिशा की भूमि ख0नं0 2422/261 रकबा 0.13 है0 एवं ख0नं0 2425/261 रकबा 0.12 है0 भूमि में कब्जा करने की गरज से आये दिन पत्थर डालने एवं प्रार्थीगण के पत्थरों के कोट को हटाने का प्रयास कर शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 17.07.2015 को प्रार्थीगण ने धमकी दी कि वे प्रार्थीगण के हिस्से एवं कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा करके रहेगें। अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.08.2015 को पुनः प्रार्थीगण के पत्थरों के कोट को हटाने का प्रयास किया। प्रार्थीगण ने मना किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी दी। अप्रार्थीगण के अवैधानिक एवं गैर कानूनी कार्य को बिना सहायता न्यायालय रोका जाना संभव नहीं है। यदि अप्रार्थीगण उनके अवैध कृत्य में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी इसलिए प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की ताफैसलावाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में चली आ रही पूरब दिशा की ख0नं0 2422/261 रकबा 0.13 है0 एवं ख0नं0 2425/261 रकबा 0.12 है0 भूमि में शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं अप्रार्थीगण उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है तथा पक्ष सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलन प्रथम दृष्टया के प्रार्थीगण के पक्ष में है। अन्य कारण बवक्त बहस मोखिक निवेदन किया जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफेसला वाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में चली आ रही पूरब दिशा की ख0नं0 2422/261 रकबा 0.13 है0 एवं ख0नं0 2422/261 रकबा 0.12 है0 भूमि में शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं अप्रार्थीगण उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार है शेष विवरण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 का विवरण अस्वीकार है तथा कथन है कि वाके ग्राम कवाई तहसील अटरू में खाता संख्या 170 का ख0नं0 261 का रकबा 2.55 है0 आराजी स्थित है जो शामलाती खाते में दर्ज थी जिसमें अप्रार्थी क्रम 1 छीतरलाल का हिस्सा 3/8 एवं सहखातेदारान गायत्री बाई, गुड्डी बाई का हिस्सा 1/8 एवं

रामचन्दी का हिस्सा 1/4 दर्ज था। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 जिस तरह लिखी गई है अस्वीकार है अपितु कथन है कि अप्रार्थी क्रम 1 व अन्य सहखातेदारान को रूपयों की आवश्यकता होने पर उक्त वर्णित आराजी में से 4 बीघा आराजी पूर्वी दिशा की ओर रोड की साईड की भूमि छोडकर 17,00,000/—रूपये अक्षरे सत्तरह लाख रूपये प्रति बीघा के हिसाब से 68,00,000/— रूपये अक्षरे अडसठ लाख रू में नरेश कुमार अदलक्खा व मनीष गर्ग को बेचान करने का इकरार किया था तथा रूबरू गवाहन साई पेटे 10,00,000/— रूपये अक्षरे दस लाख रू नकद प्राप्त किये थे तथा बेचान की शेष राशि 25,00,000/— रूपये अक्षरे अठावन लाख रू वक्त रजिस्ट्री अदा करने का इकरार किया था। इकरार नामें की प्रति साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 का विवरण अस्वीकार है तथा कथन है कि गिरीराज माहेश्वरी, मोहम्मद पयाम, नरेश कुमार अदलक्खा, परमानन्द तेली, मनीष गर्ग ने वक्त रजिस्ट्री कहा कि हमारे इनकमटेक्स लगेगा इसलिए प्रत्येक रजिस्ट्री में 4,75000/— रूपये अक्षरे चार लाख पिचेहत्तर हजार रू लिखवाये व 4 व्यक्तियोकं की जगह 5 व्यक्तियों नाम रजिस्ट्री करवाई थी इस कारण अप्रार्थी क्रम 1 छीतरलाल ने पांचो व्यक्तियों के नाम उक्त बेचानशुदा जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी तथा चन्दाबाई महाजन के खेत से पूर्व दिशा की ओर सडक के सामने की छोडकर रजिस्ट्री में अंकित करवाई थी। रजिस्ट्री के मुताबिक प्रार्थीगण को चन्दाबाई महाजन के खेत से पूर्व दिशा की आराजी का पंजीयन करवाया था लेकिन प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से मिली भगत करके बाबूलाल सुमन के खेत के पश्चिम दिशा की ओर की भूमि का नामन्तकरण संख्या 1393 दिनांक 24.04.2014 को अवैधानिक रूप से खुलवा लिया जिसे खारिज करवाने के लिए अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त नामान्तकरण संख्या 1393 के विरूद्ध अपील न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर महोदय बारां के यहां पेश कर रखी है। अपील की फोटो कॉफी एवं रजिस्ट्री की प्रति साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है तथा कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 साथ धोखधडी करके आराजी बेचान की सम्पूर्ण राशि अदा नहीं की गई है तथा रजिस्ट्री के मुताबिक दिशा बंटवारे में अंकित नहीं की गई जिसका अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद माननीय न्यायालय सिविल न्यायालय अटरू में जेरकार है। अप्रार्थी क्रम 1 छीतरलाल ने 150 पौधे भी उसके हिस्से की आराजी में लगा रहें है उक्त पौधे 2015 में वन विभाग से प्राप्त कर लगाये गये है। जो वर्तमान में बडे हो चुके है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 का विवरण अस्वीकार है तथा कथन है कि प्रार्थीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है तथा कथन है कि प्रथम दृष्ट्या केस अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 8 का

जवाब बवक्त बहस मौखिक दिया जावेगा। प्रति प्रार्थना पच उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अनुतोष प्रार्थीगण अस्वीकार है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह अप्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में चली आ रही पूरब दिशा की ख0नं0 2422/261 का रकबा 0.13 है0 एवं ख0नं0 2425/261 का रकबा 0.12 है0 भूमि में शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं प्रार्थीगण उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कवाई की नामान्तरण पंजीका (नामान्तरण संख्या 1393 दिनांक 23.04.2014), धारा 53(1) आर0टी0एक्ट के अधिन आपसी सहमति से हुऐ खाता विभाजन दिनांक 24.04.2014 एवं ग्राम कवाई की जमाबन्दी संवत 2071–2074 खाता संख्या 517 ख0नं0 2422/261 का रकबा 0.13 है0 भूमि मो0 पयाम पुत्र मुर्तजा खां के दर्ज खाते है तथा ग्राम कवाई जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 399 ख0नं0 2425/261 का रकबा 0.12 है0 भूमि परमानन्द पुत्र प्रभुलाल के खाते दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

::–आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ताफैसलावाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम कवाई के खाता संख्या 517 ख0नं0 2422/261 का रकबा 0.13 है0 तथा ग्राम कवाई खाता संख्या 399 ख0नं0 2425/261 का रकबा 0.12 है0 आराजी पर जबरन कब्जा व खुर्द बुर्द नही करें। प्रार्थीगण को उसके उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करने देवे । राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां